

**कार्यालय— स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना  
परती भूमि विकास विभाग, एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ  
दूरभाष— 0522-4005337, 4113437 ई-मेल sldcldwrlu-up@nic.in**

**पत्रांक—**

/ एस.एल.डी.सी./ लेखा—EOI / 2015-16

दिनांक 21 मई, 2015

**“अभिरुचि की अभिव्यक्ति” (Expression of Interest)**

भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त (यथा संशोधित 2011) एवं भारत सरकार के शासनादेश No. K-11013/19/2009/IWMP(UTTAR PRADESH) दिनांक 20 अगस्त 2010 के नियम सं 13 से 19 तक पर चार्टर्ड एकाउन्टेंट से ऑडिट कराये जाने के निर्देशों के अन्तर्गत प्रदेश के लिए स्वीकृत समेकित वॉटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) योजना में संचालित परियोजनाओं का डब्ल्यू.सी.डी.सी./पी.आई.ए./डब्ल्यू.सी. तथा एस.एल.एन.ए. स्तर के समस्त (संस्थागत/परियोजनावार) अभिलेखों का वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बैलेंशशीट, बैंक समाधान विवरण आदि तैयार करने एवं प्रदेश स्तर की संकलित सूचना निर्धारित मानकों के अनुसार भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.एण्ड.ए.जी.) से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेंट के पैनल से कराये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म से दिनांक 24.06.2015 की सांय 5.00 बजे तक EOI आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	शर्त
1	फर्म भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुमोदित पैनल में पंजीकृत होना चाहिए।
2	फर्म को लेखा परीक्षा के कार्य का 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3	फर्म के कम से कम 03 एफ.सी.ए. पार्टनर हो।
4	फर्म का गत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर कम से कम रु0 100 लाख होना चाहिए।
5	फर्म द्वारा 01.01.2015 को इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इण्डिया द्वारा जारी संवैधानिक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6	आवेदन कर्ता फर्म का मुख्यालय लखनऊ में स्थित होना चाहिए तथा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में उसके कर्मचारी तैनात होना चाहिए। जनपद वार कर्मचारी का नाम, मोबाइल नं० सहित संलग्न करें।
7	फर्म के पास उप्रोसंरकार के किसी विभाग का राज्य स्तरीय उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने एवं केंद्र सरकार को प्रेषित करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो (साक्ष्य संलग्न करें)
8.	ई0300आई0 के साथ फर्म को रु0 1.00 लाख का डी.डी. धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त यह धनराशि जमानत के रूप में मानी जायेगी।

उक्त शर्तों के परिपालन में साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।

**नोट:-**

1. निविदा कमेटी के पास अधूरे/अस्पष्ट EOI अथवा निविदा (EOI) को बिना कारण बताए आंशिक अथवा पूर्ण स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
2. अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेंट से वार्षिक ऑडिट कराने की फीस निम्नवत् निर्धारित है:—
  - डब्ल्यू.सी. का ऑडिट कराने हेतु रु0 750.00 प्रति डब्ल्यू.सी.(वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान डब्ल्यू.सी. में ब्याज के अतिरिक्त कोई लेन देन न होने की स्थिति में सी.ए. द्वारा उसकी बैलेन्स शीट एवं बैंक समाधान विवरण आदि प्रस्तुत करनी होगी परन्तु विभाग द्वारा ब्याज के अतिरिक्त कोई लेन देन न करने वाली डब्ल्यू.सी. की कोई फीस सी.ए. को देय नहीं होगी)।
  - पी.आई.ए. का ऑडिट कराने हेतु रु0 3000.00 प्रति परियोजना।

- डब्ल्यू.सी.डी.सी. का ऑडिट कराने हेतु ₹0 2000.00 डब्ल्यू.सी.डी.सी. (प्रति जनपद)।
- चयनित फर्म द्वारा एस.एल.एन.ए. कार्यालय पर एक सुयोग्य कर्मचारी तैनात करना होगा, जो कार्यालय के कार्यों में आवश्यकता अनुसार अपनी राय/मार्गदर्शन देगा तथा वार्षिक अभिलेखों को तैयार करना समर्त प्रकार के संकलन का कार्य करना एवं समय समय पर दिये गये अन्य लेखा सम्बन्धी कार्य करने होंगे। चयनित फर्म द्वारा एस.एल.एन.ए. स्तर का वर्ष 2014–15 का ऑडिट, यू.सी. बी.आर.एस तैयार करना होगा, जिसके लिए विगत वर्ष की भॉति ₹0 50000/-मात्र देय होगा। प्रदेश स्तर की संकलित सूचना, उपयोगिता प्रमाण पत्र, बैलेन्स शीट, बैक समाधान विवरण आदि निर्धारित मानकों के अनुसार भारत सरकार को प्रेषित करना होगा जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 3. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथा संशोधित 2011) भारत सरकार की वेबसाइट <http://dolr.nic.in> पर उपलब्ध है।
- 4. इच्छुक फर्म EOI मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उक्त पते पर अपना पूर्ण पता दूरभाष संख्या (एस.टी.डी. कोड सहित)/ई-मेल एड्रेस/मोबाइल संख्या एवं फर्म का पैन नं० (छायाप्रति सहित) अवश्य अंकित करें, ताकि प्रार्थना पत्रों का परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया जा सके।
- 5. अन्य निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मान्य होंगे।

६०  
(आञ्जनेय कुमार सिंह)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यालय— स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना  
परती भूमि विकास विभाग, एन्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

दूरभाष— 0522-4005337, 4113437 ई-मेल [sldcldwrlu-up@nic.in](mailto:sldcldwrlu-up@nic.in)

पत्रांक— ३५१ / एस.एल.डी.सी./ लेखा—EOI / 2015-16

दिनांक २१ मई, 2015

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव परती भूमि विकास विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, लखनऊ/कानपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, पार्क रोड, लखनऊ को पाँच प्रतियों के साथ इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) का विज्ञापन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाले किसी एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में 01 दिवस में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, गोमतीनगर लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञापन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें।

३००-१  
(आञ्जनेय कुमार सिंह)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी